

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 2533 / वाद सं० आर-0513/एस-12/2024

दिनांक: 15/10/2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी मौ० अशरफ अली निवासी- हरभजवाला देहरादून, द्वारा प्राधिकरण द्वारा स्थल पर लगभग 50 गुणा 15 फिट के क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृत कराये बिना 06 दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-0513/एस-12/2024 योजित किया गया है। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.5.2026 को सील किया गया था क्षेत्रीय अभियन्ता स्थलीय जॉच आख्यानसार विपक्षी द्वारा स्थल पर लगाई गई सील क्षतिग्रस्त/हटा दी गई है, उक्त निर्माण चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 22/10/2026 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/विधि-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- 2-पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3-थानाध्यक्ष पटेलनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6- आई०टी० अनुभाग एम०डी०डी०ए० को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- मौ० अशरफ अली निवासी- हरभजवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 22/10/2026 को सील किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं० 694 दिनांक 19.5.2026 के अनुसार मान्य होगी।



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

